"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 923] नवा रायपुर, गुरूवार, दिनांक 27 नवम्बर 2025 — अग्रहायण 6, शक 1947

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 27 नवम्बर 2025

आदेश

क्रमांक–3781 / 21–ब / छ.ग. / 2025.— राज्य शासन, एतद्द्वारा, श्री अयोध्या प्रसाद नायक, अधिवक्ता / नोटरी, वृत्तिक स्थल तहसील–सरायपाली, जिला– महासमुंद (छ.ग.) के द्वारा नवीनीकरण हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण नोटरी अधिनियम, 1952 की धारा 10 (च) के प्रावधान के अनुसार श्री अयोध्या प्रसाद नायक, अधिवक्ता / नोटरी, वृत्तिक स्थल तहसील–सरायपाली, जिला– महासमुंद (छ.ग.) का नाम नोटरी रजिस्टर से विलोपित करती है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
भूपेन्द्र कुमार वासनीकर, अतिरिक्त सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित – 2025.